



14.05.18

प्रार्थी जगदीश पुत्र श्री हसंराज जाति बिश्नोई निवासी मुकलावा तहसील रायसिंहनगर की ओर से श्री सुशील गोदारा अधिवक्ता ने वाद पत्र के साथ 'स्थगन प्रार्थना-पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया। वकील प्रार्थी को सुना गया। वकील प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पर विश्वास करते हुये अप्रार्थीगण के विरुद्ध इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा पारित की जाती है कि वाके चक 8 एम के का मु.न. 13 पं.न. 163/295 के 12/.253 नहरी, व मु.न. 22 प.न. 157/296 के कि. न. 18 ता 20 सालम, 21 ता 25 प्रत्येक में 0.190 है0 इस प्रकार कुल 1.709 है0 नहरी कुल दोनो मुरब्बों में 1.962 है0 नहरी, मय खाला भूमि पर जबाव अप्रार्थीगण प्रस्तुत होने तक रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। वकील प्रार्थी आदेश 39 नियम 3 सी पी सी की पालना करे। सम्बधित पक्षकारों को जरिये नोटिस तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 11.06.2018 को पेश हो।


उपजिला कलक्टर
रायसिंहनगर

11/6
18

वकील पक्षकारान हाजिर ~~रुजली एडवोकेट~~ ~~हनु अवसर~~ चाहा। पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 25/6/18 को पेश हो

रुजली एडवोकेट की ओर से श्री ~~रुजली~~
अधिवक्ता ने पत्र-दी। तब तक त-1 की
अबलि कबहु वावाई 

P.T.O

प्रकृति के सब
 आरोग्य के प्रति वकील जल्दी दायित्व। वकील
 खर्च हुए ~~जल्दी~~ के अर्थव्यवस्था के सुरक्षित
 महत्त्व ~~जल्दी~~ के अर्थव्यवस्था के सुरक्षित
 कलादी ~~जल्दी~~ के अर्थव्यवस्था के सुरक्षित
 प्रकृति के अर्थव्यवस्था के सुरक्षित

डायरेक्टर (वकील)
 डायरेक्टर (वकील)